<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266066 CG-DL-E-11092025-266066

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] No. 243] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2025

मामला संख्याः –एडी (एसएसआर)-07/2025

विषय: यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2-एथिल हेक्सानॉल के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. <u>फा.सं.7/14/2025-डीजीटीआर</u>: समय-समय पर यथा-शोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2-एथिल हेक्सानॉल (2-ईएच) (जिसे आगे 'विचाराधीन

6000 GI/2025 (1)

उत्पाद' अथवा 'संबद्ध सामान' कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे हटाया न जाए, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षित के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और परिणामी क्षित के जारी रहने या उसके बार बार होने की संभावना है।

# क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

- 3. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क जांच 20 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/24/2024-डीजीएडी दिनांक 18 फरवरी 2016 के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया।
- 4. प्राधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त 2020 द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/28/2020-डीजीटीआर दिनांक 8 मार्च 2021 के तहत पाटनरोधी उपाय जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 17/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा सिफारिश स्वीकार की। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 25 मार्च 2026 तक लागू हैं।

# ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जाँच में परिभाषित है, जो इस प्रकार है:

"5. इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद "2-एथिल हेक्सेनॉल" है। 2-एथिल हेक्सेनॉल (संक्षिप्त रूप में '2- ईएच') एक मूल कार्बनिक रसायन है। यह एक वसायुक्त अल्कोहल, पारदर्शी, गितिशील, उदासीन द्रव है जिसकी एक विशिष्ट गंध होती है। 2-ईएच का उत्पादन बड़े पैमाने पर विलायकों, स्वादों और सुगंधों जैसे अनेक अनुप्रयोगों में और विशेष रूप से एमोलिएंट्स और प्लास्टिसाइज़र जैसे अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए प्रि-कर्सर के रूप में किया जाता है। 2-एथिल हेक्सेनॉल का मुख्य अनुप्रयोग निम्न वाष्पशील एस्टर के निर्माण में फीडस्टॉक के रूप में है; इनमें सबसे महत्वपूर्ण डाइ-(2एथिल हेक्सेनॉल) थैलेट (डीओपी या डीईएचपी) है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष संख्या 29051620 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

- 6. वर्तमान आवेदन-पत्र एक निर्णायक समीक्षा जाँच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसचना में परिभाषित किए गए अनुसार ही होता है।
- 7. आवेदक ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।

## ग. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन-पत्र पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखे जाने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच हेतु है। समान

वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में भी की जा चुकी है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

# घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

- 9. यह आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देशों के निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबद्ध है।
- 10. आवेदक के अलावा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) नामक एक अन्य उत्पादक भी है। आवेदक ने दावा किया है कि पिछली जाँच में, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। 2021 में बीपीसीएल ने भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया। उत्पादक ने न तो आवेदन-पत्र का विरोध किया है और न ही समर्थन किया है।
- 11. इसको ध्यान में रखते हुए, और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

### ड. संबद्ध देश

12. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

## च. जाँच की अवधि

13. इस जांच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। क्षित जाँच की अवधि अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024 और जाँच की अवधि है।

## छ. तथाकथित पाटन का आधार

## i. सामान्य मूल्य

- 14. आवेदक ने यूरो स्टेट आंकड़ों के अनुसार अंतर-यूरोपीय संघ की कीमतों की सूचना प्रदान की है। इसी प्रकार, आवेदक ने समर्पित कोड के आधार पर कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात कीमत की सूचना दी है।
- 15. आवेदक ने दावा किया है कि चूँकि उत्पाद का इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान में कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है, इसलिए इन देशों में कीमत के किसी भी साक्ष्य तक उसकी पहुँच नहीं है। इसलिए, आवेदक ने उपलब्ध तथ्यों और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- 16. जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उत्पादन लागत और उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

### ii. निर्यात कीमत

17. निर्यात कीमत, डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

## iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बिल्क काफी भी है। चूँकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे।

## ज. क्षिति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना और कारणात्मक संपर्क

- 19. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षित के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पाटित आयातों के कारण कीमत में आई गिरावट ने पूरी लागत वसूलने और उचित आय दर प्राप्त करने में कीमत परिवर्तन को रोक दिया है। आवेदक को वित्तीय हानियां, नकारात्मक नकद लाभ, नकारात्मक ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय हो रही है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जाँच में और अधिक क्षित की संभावना है और उसने अधिशेष क्षमता, निर्यातोन्मुखमा, तीसरे देश द्वारा लगाए गए उपायों और भारत की कीमत आकर्षकता के बारे में सूचना दी है।
- 20. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देशों से पाटन के बार बार होने और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

## झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

21. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो पाटन और क्षित के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना को सिद्ध करते हैं, तथा नियमावली के नियम 23 (आईबी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षित के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करते हैं।

### ञ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

## ट. सूचना प्रस्तुत करना

- 23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd15-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@nic.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।
- 24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर किए जाने चाहिएं।
- 25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।

- 26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 27. हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<a href="https://www.dgtr.gov.in/">https://www.dgtr.gov.in/</a>) को नियमित रूप से देखते रहें तािक वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

# ठ. <u>सम</u>य सीमा

- 28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd15-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@nic.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. पर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना मंगाने और अन्य दस्तावेज मंगाने का नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा, जिस तारीख को वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनियक प्रतिनिधिको भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- 29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सिहत) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
- 30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

## ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तृत करना</u>

- 31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।
- 32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 33. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
- 34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट किया गया हो (जहां सूचीकरण संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांश किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
- 35. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए

नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।

- 36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनी रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 37. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सुचना को अनदेखा कर सकते हैं।
- 39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमित के बिना किसी भी पक्षकार को इसका खुलासा नहीं करेंगे।

# ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

## ण. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुनरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September 2025

CASE No. AD (SSR)- 07/2025

<u>Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of 2- Ethyl Hexanol originating in or exported from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America.</u>

- 1. F. No. 7/14/2025 -DGTR: Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), the Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of 2-Ethyl Hexanol (2-EH) (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America (hereinafter referred to as the 'subject countries').
- 2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to

have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequential injury.

#### A. Background of previous investigation.

- 3. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from subject countries was initiated on 20<sup>th</sup> November, 2014. Pursuant to detailed investigation, the Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide Final Findings No. 14/24/2024-DGAD dated 18<sup>th</sup> February, 2016. The Ministry of Finance vide Notification No. 10/2016-Customs (ADD) dated 29th March, 2016 imposed anti-dumping duties for a period of 5 years.
- 4. The Authority initiated sunset review investigation vide dated 28<sup>th</sup> August, 2020. After detailed investigation, the Authority vide final findings no. 7/28/2020-DGTR dated 8<sup>th</sup> March, 2021 recommended continuation of anti-dumping measures. The Ministry of Finance accepted the recommendation vide notification no. 17/2021-Customs (ADD) dated 26<sup>th</sup> March, 2021. The present anti-dumping duties are in force till 25<sup>th</sup> March, 2026.

#### B. Product under consideration (PUC).

- 5. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:
  - "5. The product under consideration in this investigation is "2-Ethyl Hexanol". 2-Ethyl Hexanol (abbreviated as '2-EH') is a basic organic chemical. It is a fatty alcohol, clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odour. 2-EH is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavours, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. Main application of 2-Ethyl Hexanol is as a feed stock in the manufacture of low volatility esters; the most important of it is Di-(2Ethyl hexyl) Phthalate (DOP or DEHP). The product under consideration is classified under Customs Tariff Heading No. 29051620. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."
- 6. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.
- 7. The applicant has not proposed any PCN methodology.

#### C. Like article.

8. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the applicant and the one exported from the subject countries. The product produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the applicant is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

#### D. Domestic industry and standing.

- 9. The application has been filed by the Andhra Petrochemicals Limited. The applicant has certified that it has not imported the subject goods nor related to the exporters from the subject countries or importers in India.
- 10. Apart from the applicant, there is another producer namely Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). The applicant has claimed that in the previous investigation, the applicant was the sole producer of the subject goods in India. In 2021, BPCL commenced its production of the subject goods in India. The producer has neither opposed nor supported the application.
- 11. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

#### E. Subject countries

12. The subject countries in the present investigation are European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America.

#### F. Period of investigation.

13. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2024 – 31st March 2025 (12 months). The injury examination period is April 2021 - March 2022, April 2022 - March 2023, April 2023 – March 2024 and the period of investigation.

#### G. Basis of alleged dumping.

#### i. Normal value.

- 14. The applicant has provided information on intra-European Union prices as per Euro Stat data. Similarly, the applicant has provided information on import price in Korea RP and United States of America, based on dedicated code.
- 15. The applicant has claimed that since the product does not have a dedicated classification in Indonesia, Malaysia and Taiwan, it does not have access to any evidence of price in these countries. Therefore, the applicant has determined the normal value based on the estimated cost of production based on facts available along with a reasonable profit margin.
- 16. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value considering the cost of production based on facts available along with a reasonable profit margin for all the subject countries.

### ii. Export price

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses credit costs and inventory carrying costs.

#### iii. Dumping margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the de minimis level but is also significant. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties.

#### H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

- 19. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The price depression caused by dumped imports have been prevented the price movement to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from financial losses, negative cash profit, negative profit before interest and negative return on capital employed. The applicant has also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation and provided information on surplus capacities, export orientation, measures imposed by third country and price attractiveness of India.
- 20. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows recurrence of dumping from the subject countries and likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

#### I. <u>Initiation of sunset review investigation.</u>

21. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

## J. Procedure

22. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

#### K. Submission of information.

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd15-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@nic.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

- 24. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<a href="https://www.dgtr.gov.in/">https://www.dgtr.gov.in/</a>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

#### L. <u>Time limit.</u>

- 28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses jd15-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@nic.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
- 29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
- 30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### M. <u>Submission of information on confidential basis.</u>

- 31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 32. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
- 33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
- 34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of

circulation of the non-confidential version of the documents.

- 37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

#### N. <u>Inspection of public file.</u>

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

#### O. Non-cooperation.

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority